

**एनएचपीसी लिमिटेड**  
**पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट**

**सितंबर, 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट**

<b>1</b>	परियोजना का नाम	किशनगंगा पावर स्टेशन (330 मेगावाट)
<b>2</b>	परियोजना की किस्म	जलविद्युत् परियोजना
<b>3</b>	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख <b>क)</b> पर्यावरण संबंधी स्वीकृति <b>ख)</b> वन संबंधी स्वीकृति	<b>क)</b> सं- जे-12011/36/2003-आईए-आई,दिनांक 09.03.2006 <b>ख)</b> आदेश संख्या 219-FST of 2008 दिनांक 27.5.2008
<b>4</b>	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	बांदीपोरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर 34° 39' 00''उ.(बांध स्थल) 74° 45' 08'' पू. (बांध स्थल)
<b>5</b>	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)  ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	परियोजना प्रमुख, किशनगंगा पावर स्टेशन, एनएचपीसी ऑफिस व आवासीय कॉम्प्लेक्स, करालपोरा, बांदीपोरा, केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू और कश्मीर -193502 टेलीफोन नं.:01957-225008, फैक्स नं.: 01957-225011  कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद-121003 दूरभाष नं. 0129-2254674 ई-मेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in
<b>6</b>	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	परियोजना में निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं: 1. जैवविविधता संरक्षण योजना 2. जलग्रहण क्षेत्र उपचार 3. मत्स्य पालन विकास 4. जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली 5. ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन 6. ऊर्जा संरक्षण उपायों 7. डम्पिंग स्थलों का पुनरुद्धार 8. भूसुदर्शनीकरण और निर्माण-क्षेत्रों का पुनरुद्धार 9. जलाशय के चारों ओर हरित पट्टी का विकास 10. आपदा प्रबंधन योजना

		11. पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना																																								
<b>7</b>	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)  ख) अन्य	<p>क) जलमग्न क्षेत्र (हैक्टेयर में): वन भूमि: 70.00 गैर-वन भूमि: 214.05 उप-जोड़ : 284.05</p> <p>ख) अन्य (हैक्टेयर में): वन भूमि: 55.00 गैर-वन भूमि : 42.56 उप-जोड़ : 97.56 बंदीपोरा में अधिकृत अतिरिक्त गैर-वन भूमि : 0.02 हैक्टेयर* गुरेज में अतिरिक्त वन भूमि: 0.9574 हैक्टेयर*</p> <p><b>कुल जोड़ : 382.575 हैक्टेयर</b> *(सितंबर, 2018 में 3 मरला भूमि व ढाँचा एनएचपीसी कार्यालय के मुख्य गेट के पास अधिकृत किया गया और गुरेज में 0.9574 हैक्टेयर वन भूमि अधिकृत किया गया (दिनांक 31.03.2021 को प्राप्त वन स्वीकृति-1))</p>																																								
<b>8</b>	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण  क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी  ख) अन्य	<p>परियोजना से प्रभावित परिवारों का विवरण:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">स्थान</th> <th colspan="3">श्रेणी</th> </tr> <tr> <th>पूरी तरह प्रभावित</th> <th>आंशिक रूप से प्रभावित</th> <th>कुल परियोजना प्रभावित परिवार संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बिजली घर क्षेत्र (बंदीपोरा )</td> <td>05</td> <td>166</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>बांध क्षेत्र (गुरेज )</td> <td>143+15</td> <td>487</td> <td>645</td> </tr> <tr> <td><b>उप-जोड़</b></td> <td><b>163</b></td> <td><b>653</b></td> <td><b>816</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रभावित परिवारों की श्रेणी:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>स्थान</th> <th>सा.</th> <th>अनु.जा</th> <th>अनु.ज.ज</th> <th>पि.जा.</th> <th>अ.पि.क्षे.</th> <th>कुल</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बिजली घर क्षेत्र</td> <td>114</td> <td>02</td> <td>53</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>बांध क्षेत्र</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>645</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>645</td> </tr> </tbody> </table> <p>(RBA- आरक्षित पिछड़े क्षेत्र ) *पृष्टिकरण अभी वांशित है।</p>	स्थान	श्रेणी			पूरी तरह प्रभावित	आंशिक रूप से प्रभावित	कुल परियोजना प्रभावित परिवार संख्या	बिजली घर क्षेत्र (बंदीपोरा )	05	166	171	बांध क्षेत्र (गुरेज )	143+15	487	645	<b>उप-जोड़</b>	<b>163</b>	<b>653</b>	<b>816</b>	स्थान	सा.	अनु.जा	अनु.ज.ज	पि.जा.	अ.पि.क्षे.	कुल	बिजली घर क्षेत्र	114	02	53	01	01	171	बांध क्षेत्र	-	-	645	-	-	645
स्थान	श्रेणी																																									
	पूरी तरह प्रभावित	आंशिक रूप से प्रभावित	कुल परियोजना प्रभावित परिवार संख्या																																							
बिजली घर क्षेत्र (बंदीपोरा )	05	166	171																																							
बांध क्षेत्र (गुरेज )	143+15	487	645																																							
<b>उप-जोड़</b>	<b>163</b>	<b>653</b>	<b>816</b>																																							
स्थान	सा.	अनु.जा	अनु.ज.ज	पि.जा.	अ.पि.क्षे.	कुल																																				
बिजली घर क्षेत्र	114	02	53	01	01	171																																				
बांध क्षेत्र	-	-	645	-	-	645																																				
<b>9</b>	<b>वित्तीय ब्यौरा</b> क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष	<p>रु. 3642.00 करोड़, CCEA द्वारा अनुमोदित (PL सितंबर, 2007) रु. 5633.28 करोड़ समापन मूल्य</p>																																								

<p>ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p> <p>ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन</p> <p>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</p>	<p>रु. 5373.51 करोड़ (ऑडिटर शीट के अनुसार)</p> <p>रु. 58.95 करोड़ (EMP) + रु.171.22 करोड़ (संशोधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना)+ रु.4.42 करोड़(retrenched भूमि के मालिकों को वित्तीय सहायता)= रु. 234.59 करोड़</p>																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)</th> <th>आवंटित राशि(लाख रुपये में)</th> <th>खर्च (लाख रुपये में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>जैवविविधता संरक्षण योजना</td> <td>102.06</td> <td>27.50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td> <td>1024.0</td> <td>997.43 + (GST=26.55)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>मत्स्य पालन विकास</td> <td>630.78</td> <td>505.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली</td> <td>186.27</td> <td>80.20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन</td> <td>91.40</td> <td>8.998</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>जलाऊ लकड़ी/ एलपीजी डिपो और ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए प्रावधान</td> <td>63.79</td> <td>54.05+ 9.74(GST)</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन</td> <td>1770.66</td> <td>1439.53 +(GST=236.16)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>भूसुदर्शनीकरण और निर्माण क्षेत्रों का पुनरुद्धार</td> <td>191.37</td> <td>18.26</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>जलाशय के चारों ओर हरित पट्टी का विकास</td> <td>58.69</td> <td>29.19</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>आपदा प्रबंधन योजना</td> <td>154.12</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>कुल योग (क)</b></td> <td><b>4273.14</b></td> <td><b>3160.16</b> <b>+ 272.45 GST</b></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना</td> <td>17122.00</td> <td>16335.46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>भू-स्वामियों को वित्तीय मदद</td> <td>442.75 (दिनांक 24.11.17 को पुनः अनुमोदित)</td> <td>399.32 + (GST 0.61)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>उप - योग (ख)</b></td> <td><b>17564.75</b></td> <td><b>16734.78</b> <b>+ 0.61 GST</b></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम</td> <td>95.69</td> <td>75.00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>वन भूमि के लिए मुआवजा</td> <td>327.58</td> <td>257.00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>नेट प्रेजेंट वैल्यु</td> <td>1198.23</td> <td>939.00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>नेट प्रेजेंट वैल्यु, क्षतिपूरक</td> <td>12.27</td> <td>12.27</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)	आवंटित राशि(लाख रुपये में)	खर्च (लाख रुपये में)	1	जैवविविधता संरक्षण योजना	102.06	27.50	2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	1024.0	997.43 + (GST=26.55)	3	मत्स्य पालन विकास	630.78	505.00	4	जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली	186.27	80.20	5	ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन	91.40	8.998	6	जलाऊ लकड़ी/ एलपीजी डिपो और ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए प्रावधान	63.79	54.05+ 9.74(GST)	7	डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन	1770.66	1439.53 +(GST=236.16)	8	भूसुदर्शनीकरण और निर्माण क्षेत्रों का पुनरुद्धार	191.37	18.26	9	जलाशय के चारों ओर हरित पट्टी का विकास	58.69	29.19	10	आपदा प्रबंधन योजना	154.12	0.00		<b>कुल योग (क)</b>	<b>4273.14</b>	<b>3160.16</b> <b>+ 272.45 GST</b>	11	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	17122.00	16335.46		भू-स्वामियों को वित्तीय मदद	442.75 (दिनांक 24.11.17 को पुनः अनुमोदित)	399.32 + (GST 0.61)		<b>उप - योग (ख)</b>	<b>17564.75</b>	<b>16734.78</b> <b>+ 0.61 GST</b>	12	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	95.69	75.00	13	वन भूमि के लिए मुआवजा	327.58	257.00	14	नेट प्रेजेंट वैल्यु	1198.23	939.00	15	नेट प्रेजेंट वैल्यु, क्षतिपूरक	12.27
क्रम सं.	पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)	आवंटित राशि(लाख रुपये में)	खर्च (लाख रुपये में)																																																																									
1	जैवविविधता संरक्षण योजना	102.06	27.50																																																																									
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	1024.0	997.43 + (GST=26.55)																																																																									
3	मत्स्य पालन विकास	630.78	505.00																																																																									
4	जन स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली	186.27	80.20																																																																									
5	ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन	91.40	8.998																																																																									
6	जलाऊ लकड़ी/ एलपीजी डिपो और ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए प्रावधान	63.79	54.05+ 9.74(GST)																																																																									
7	डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन	1770.66	1439.53 +(GST=236.16)																																																																									
8	भूसुदर्शनीकरण और निर्माण क्षेत्रों का पुनरुद्धार	191.37	18.26																																																																									
9	जलाशय के चारों ओर हरित पट्टी का विकास	58.69	29.19																																																																									
10	आपदा प्रबंधन योजना	154.12	0.00																																																																									
	<b>कुल योग (क)</b>	<b>4273.14</b>	<b>3160.16</b> <b>+ 272.45 GST</b>																																																																									
11	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	17122.00	16335.46																																																																									
	भू-स्वामियों को वित्तीय मदद	442.75 (दिनांक 24.11.17 को पुनः अनुमोदित)	399.32 + (GST 0.61)																																																																									
	<b>उप - योग (ख)</b>	<b>17564.75</b>	<b>16734.78</b> <b>+ 0.61 GST</b>																																																																									
12	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम	95.69	75.00																																																																									
13	वन भूमि के लिए मुआवजा	327.58	257.00																																																																									
14	नेट प्रेजेंट वैल्यु	1198.23	939.00																																																																									
15	नेट प्रेजेंट वैल्यु, क्षतिपूरक	12.27	12.27																																																																									

		वनरोपण स्कीम आदि 0.9574 है० वन भूमि के लिए		
		<b>उप - योग (ग)</b>	<b>1633.77</b>	<b>1283.27</b>
		<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>23471.66</b>	<b>21178.21 + GST 273.06</b>
<b>10</b>	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति  ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति	वन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या 2008 का 219-एफएसटी, दिनांक 27.5.2008 द्वारा 125 हैक्टेयर वन भूमि के लिए वन संबंधी स्वीकृति दे दी गई है। सैद्धांतिक रूप से दिनांक 31.03.2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा गुरेज में 0.9574 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी प्रदान की गई थी। भूमि वन आवरण से रहित है। कुल पेड़: 11215 संख्या पूर्ण कटाई के लिए अनुमोदन : 1460 संख्या पेड़ + 842 संख्या पौधे पूर्ण की गई कटाई: 1402 संख्या		
<b>11</b>	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई )  ख) पूरा होने की तारीख(वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई )	जनवरी, 2009 (वास्तविक)  मार्च, 2018 (वास्तविक)		
<b>12</b>	विलम्ब के कारण। यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है।	लागू नहीं।		
<b>13</b>	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) निगरानी समिति द्वारा  ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	बहुविधा पर्यावरणीय निगरानी समिति का दौरा व बैठक: 1. पहला दौरा व बैठक: 1 जून 2011 2. दूसरी दौरा व बैठक: 16-17 नवम्बर 2012 3. तीसरी दौरा व बैठक: 11-12 दिसम्बर 2013 4. चतुर्थ दौरा व बैठक: 10-13 अगस्त 2015 5. पाँचवा दौरा व बैठक: 26-29 अक्टूबर 2017 6. छठवाँ दौरा व बैठक: 6-7 जून, 2023.  ● उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चंडीगढ़ के प्रतिनिधि द्वारा बहुविधा पर्यावरणीय निगरानी समिति के सदस्यों के साथ परियोजना का दौरा किया गया। ● किशनगंगा जलविद्युत परियोजना के आर एंड आर मुद्दे सहित विभिन्न चल रहे विकास कार्यों के लिए दिनांक		

		<p>11.09.2019, 02.11.2019, 07.01.2021, 28.08.2021 और 21.09.2021 को प्रधान सचिव जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी ।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● दिनांक 18.01.2021 को जम्मू और कश्मीर सरकार के बांदीपोरा जिले के जिला विकास आयुक्त द्वारा विभिन्न आर एंड आर और अन्य चल रहे विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक की गयी ।</li> <li>● जम्मू व कश्मीर के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.02.2019, 12.02.2020, सितंबर 2021, 25.03.2022 एवं सितंबर 2023 में परियोजना स्थल का निरीक्षण किया गया था।</li> <li>● जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा दिनांक 25.03.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया था।</li> <li>● जल (नियंत्रण और नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (नियंत्रण प्रदूषण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत किशनगंगा पावर स्टेशन का एसपीसीबी के अधिकारी ने दौरा किया और इकाई की रिवाइज्ड औद्योगिक क्षेत्र की वर्गीकरण के अनुसार एक वर्ष के लिए सीटीओ को नवीनीकरण करने के लिए सहमति दी।</li> </ul>
<b>14</b>	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	<b>संलग्नक- क</b> के रूप में संलग्न।

## संलग्नक-क

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति पत्र संख्या J-1-2011/36/2003-IA-I दिनांक 09.03.2006 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति।

### भाग क: विशिष्ट शर्तें

(i). अब केवल एक गांव प्रभावित होगा। परियोजना प्रभावित गांव के ताजा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संचालन के बाद प्रभावित आबादी और परिवारों की सही संख्या इस मंत्रालय को भेजी जा सकती है। प्रभावित परिवारों को ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित आर एंड आर योजना के अनुसार पुनर्वास किया जाना चाहिए। निगरानी और आर एंड आर योजना के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से एक महिला प्रतिनिधि को शामिल करना चाहिए।

**अनुपालन:** पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.10.2007 से कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना व सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण स्वीकार कर लिया, जिसकी वित्तीय लागत ₹30.66 करोड़ रुपए की थी। हालांकि इसके बाद विभिन्न साझेदारों व संबंधित MLA's के साथ सिलसिलेवार बैठकों के बाद पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को संशोधित करते हुए इसकी कुल लागत ₹ 253.75 करोड़ रूपये कर दी गयी, जिसे उपायुक्त, बंदीपोरा द्वारा दिनांक 03.09.2011 को अनुमोदित भी कर दिया गया। इसी क्रम में, जिला प्रशासन, बंदीपोरा को स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यों के कार्यान्वयन व पुनर्वास और पुनर्स्थापना कॉलोनी के लिए भूमि की लागत, आदि के लिए ₹ 6491.58 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। हालांकि, दिनांक 19.02.2015 को स्थायी समिति द्वारा जारी निर्देशानुसार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना का पुनः अवलोकन किया गया, तत्पश्चात जम्मू & कश्मीर सरकार द्वारा अनुमोदित रातले जलविद्युत परियोजना की पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के अनुसार किशनगंगा जलविद्युत परियोजना की पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना को पुनः तैयार किया गया। कैबिनेट ने आदेश दिनांक 09.12.2015 के माध्यम से कुल ₹ 152.72 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ, जिसे जम्मू-कश्मीर कैबिनेट द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया था, दिनांक 22.12.2016 को ₹171.22 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ अनुमोदित किया गया था।

सत्यापन के अनुसार, गुरेज में विस्थापित हो रहे परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या कुल 143 है। सभी 143 परियोजना प्रभावित परिवारों को पूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है, इनमें से 125 परियोजना प्रभावित परिवारों ने नकद राशि लेने का विकल्प चुना व अन्य 18 परियोजना प्रभावित परिवारों ने भूमि व नकद राशि लेने का विकल्प चुना। विस्थापित हो रहे परियोजना प्रभावित परिवारों को सफलता पूर्वक जलमग्न हो रहे स्थान से खाली कराया गया तथा इंडस वॉटर संधि के अनुसार जलाशय को भरा गया। सत्यापन के अनुसार बंदीपोरा में कुल 5 विस्थापित परिवार हैं तथा उन्हें पूरा भुगतान दिया जा चुका है।

परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद, दिनांक 16.05.2018 को मुख्य सचिव, जम्मू कश्मीर की अध्यक्षता में सशक्त समिति की बैठक हुई। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. 76 अतिरिक्त विस्थापित परिवारों को परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची में शामिल किया गया।
2. गुरेज में अतिरिक्त 46 आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को R&R लाभों का भुगतान की मंजूरी दी गई है।
3. बड़वान ग्राम गुरेज के विस्थापित परिवारों के लिए 05 मरला भूमि का प्रावधान।

4. सौर स्ट्रीट लाइट के प्रावधान में 2 करोड़ रु. की वृद्धि की गयी।

परियोजना में परियोजना प्रभावित परिवारों की संख्या नीचे दी गयी है:

स्थान	श्रेणी		
	पूरी तरह प्रभावित	आंशिक रूप से प्रभावित	कुल परियोजना प्रभावित परिवार संख्या
बिजली घर क्षेत्र (बंदीपोरा)	05	166	171
बांध क्षेत्र (गुरेज़)	143+15=158	487	645
<b>कुल</b>	<b>163</b>	<b>653</b>	<b>816</b>

दिनांक 19.10.2019, 02.11.2019 और 07.01.2020 को आयोजित आर एंड आर मुद्दों पर समीक्षा बैठक जिसमें डीडीसी, बांदीपोरा के साथ केजीएचईपी के आर एंड आर से संबंधित कार्यों पर चर्चा की गई।

**(ii). जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य को छह वर्ष में किया जाएगा।**

**अनुपालन:** पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट में जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (CAT) के लिए ₹ 679.94 लाख रुपए रखा गया था। परंतु, वन विभाग, जम्मू और कश्मीर ने इस योजना की समीक्षा करके इसकी लागत ₹ 1024 लाख रुपए कर दिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पत्र दिनांक 12.01.2016 के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की लागत में वृद्धि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बारे में अवगत कराया गया। दिनांक 29.08.2022 को जम्मू-कश्मीर वन विभाग को ₹18.00 लाख रुपये की राशि, सातवीं किस्त के रूप में जारी की गई है। इस प्रकार, कैट योजना के निष्पादन के लिए जम्मू-कश्मीर वन विभाग के पास जमा की गई कुल राशि 997.43 लाख रुपये + जीएसटी = 26.55 लाख है।

CAT कार्यों की वास्तविक व वित्तीय प्रगति का सार नीचे दिया गया है:

परियोजना द्वारा निर्गमित कोष	वन विभाग द्वारा खर्च किया जा चुका कोष	किए गए इंजीनियरिंग वर्क्स का ब्यौरा	पौधारोपन एरिया तथा लगाए गए पौधों की संख्या
₹ 997.43 लाख	₹ 968.49 लाख	1.DRSM कार्य : 23353cum 2. Crate कार्य: 2843 Nos 3. कैच वॉटर ड्राइन: 1110 rmtr 4. ब्रुशवूड चेक डैम: 197 Nos	कुल क्षेत्रफल: 563 हेक्टेयर लगाए गए पौधों की संख्या: 437300 नं पैच में बुवाई: 82000 नंबर नर्सरी विकसित: 3 हेक्टेयर

**(iii). भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा 15% से बढ़ा कर 30% करा जाए।**

**अनुपालन:** जम्मू एवं कश्मीर के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 के अनुसार 15% जबराना परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी भूमि/संपत्ति के मुआवजे के साथ भुगतान किया गया है।

**(iv). बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। मच्छर प्रजनन रोकने के लिए उन्हें पानी के प्रवाह की एक न्यूनतम दर 60 मी./सेकंड बनाए रखा जाना चाहिए। मलेरिया मच्छर प्रजनन की समस्या को कम करने के लिए विशेष उपायों को इस परियोजना के एक भाग के रूप में किया जाना होगा।**

**अनुपालन:** इस शर्त को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 01.10.2012 के पत्र के माध्यम से बदल दिया है, जो कि इस प्रकार है: "बांध के नीचे बहाव में जलीय जीवन के निर्वाह के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय

प्रवाह 4.25 क्यूमेक से कम नहीं किया जाना चाहिए"। हालांकि आईसीए के निर्देशानुसार, 9.00 क्यूमेक्स का न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित किया जा रहा है जिसके लिए बांध संरचना में 1300 मिलीमीटर का पाईप अधिष्ठापित किया गया है।

**(v). परियोजना अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र में पाए जाने वाले लुप्तप्राय औषधीय पौधों की जैव विविधता संरक्षण एवं गुणन के लिए कदम उठाने चाहिए।**

**अनुपालन:** ईएमपी के अनुसार ₹ 102.06 लाख रुपए की राशि जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए निर्धारित किया गया था। वन्यजीव विभाग, जम्मू & कश्मीर सरकार को जारी की गई ₹ 27.50 लाख रुपए की पहली किस्त खर्च किये जा चुके हैं। सहायक निदेशक ने पत्र दिनांक 25.09.23 और 27.10.23 के माध्यम से इस कार्य के DPR की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए शेष धनराशि के निर्गमन के लिए अनुरोध किया है।

**(vi) प्रस्तावित मत्स्य विकास योजना राज्य मत्स्य विभाग के परामर्श से लागू किया जाना चाहिए।**

**अनुपालन:** ₹ 57.33 लाख की राशि को ईएमपी रिपोर्ट में मत्स्य विकास योजना के लिए निर्धारित किया गया था। जनवरी 2011 में ₹25 लाख की राशि पहली किस्त के रूप में मत्स्य विभाग को गुरेज़ में मछली फार्म के विकास से संबंधित कार्यों के लिए जारी कर दिया गया है। मत्स्य विभाग ने ₹ 24.48 लाख रुपए के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 10.02.2014 को राज्य मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य विकास योजना की संशोधित लागत ₹630.78 लाख रुपए किया गया था, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 23.08.2017 के आदेश पत्र द्वारा प्रदान की गयी है।

एनएचपीसी ने निदेशक (मत्स्य) व अन्य मत्स्य विभाग अधिकारियों के साथ दिनांक 13.10.2017 को एक बैठक कर उनके साथ कार्य अनुसूची को अंतिम रूप देने व कार्य संपादन करने के लिए जरूरी कॉडल फॉर्मिलिटीस की चर्चा की, जहाँ यह तय किया गया कि शेष बची हुई ₹605.78 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि को उपयोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर चार तिमाही किस्तों में निर्गमित किया जा सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एनएचपीसी ने दिनांक 09.02.2018 को ₹150 लाख रुपए की राशि निदेशक (मत्स्य) को प्रदान की है ताकि वह अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार विभिन्न अवयवों के अनुसार कार्य निष्पादित करवा सके। सहायक निदेशक (मत्स्य), बंदापोरा द्वारा पत्र दिनांक 17.04.2019 के माध्यम से ₹150 लाख रुपए के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। एनएचपीसी के पत्र दिनांक 01.11.2019 द्वारा जम्मू-कश्मीर मत्स्य विभाग से नवीनतम प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व संयुक्त निरीक्षण करवाने हेतु अनुरोध किया है। निष्पादन एजेंसी के कार्यकारी अभियंता (आर & बी) जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ दिनांक 04.03.2020 को साइट दौरा किया गया। मत्स्य विभाग द्वारा बांदापोरा में मत्स्य विकास से संबंधित कार्यों को पूरा कर लिया गया है। मत्स्य पालन के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए परियोजना द्वारा निदेशक (मत्स्य) को दिनांक 19.02.2021 को ₹230 लाख रुपये की राशि जारी किया गया है। इस मद में अभी तक रुपये 505.00 लाख की कुल राशि जम्मू और कश्मीर सरकार के मत्स्य प्रबंधन निदेशक को जारी की गई जिसमें से 287.89 लाख रुपये उपयोग किए जा चुके हैं।

अब तक किए गए कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :

- गुरेज में सर्वे हट का निर्माण- पूर्ण हो चुका है।
- शोकबाबा में फीड मिल की खरीद- पूर्ण हो चुका है।
- पेलेटेड ट्राउट फीड मिल के लिए चैन लिंक फेंसिंग- पूर्ण हो चुका है।
- शोकबाबा में 2 जोड़ी अमेरिकी प्रकार के रेसवे का निर्माण - पूर्ण हो चुका है।

- पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य - पूर्ण हो चुका है
- बांदीपोरा में फार्म हट का निर्माण कार्य - पूरा हो चुका है।
- अमेरिकी प्रकार के 4 रेसवे का निर्माण कार्य - प्रगति पर है।

## पार्ट बी: सामान्य शर्तें:

I. पर्याप्त मुफ्त ईंधन की व्यवस्था निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों के लिए किया जाना चाहिए जिसका खर्चा परियोजना लागत में शामिल होना चाहिए ताकि पेड़ों कि अविवेकपूर्ण कटान रोका जा सके।

**अनुपालन:** परियोजना कमीशन हो चुकी है। उक्त शर्त का पालन निर्माण के समय पूर्ण रूप से किया गया था।

II. ईंधन (मिट्टी का तेल / लकड़ी / एलपीजी) प्रदान करने के लिए साइट पर ईंधन डिपो खोला जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही मनोरंजन सुविधाओं भी मजदूरों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

**अनुपालन:** परियोजना कमीशन हो चुकी है। उक्त शर्त का पालन पूर्णतः किया गया है।

III. निर्माण कार्यों के लिए लगे हुए सभी मजदूरों को अच्छी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जाना चाहिए और उन्हें कार्य परमिट जारी करने से पहले पर्याप्त रूप से इलाज किया जाना चाहिए।

**अनुपालन:** शर्त का अनुपालन किया गया था। परियोजना कमीशन हो चुकी है।

IV. निर्माण क्षेत्र तथा डम्पिंग स्थलों के पुनरुद्धार हेतु खोदी गई सामग्रियों के निस्तारण करते हुए के स्थल समतलीकरण, गड्ढों को भरनाभूसुदर्शनीकरण आदिकार्यों द्वारा निर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनीकरण किया जाना चाहिए।

**अनुपालन :** विभिन्न स्थलों पर निर्माण कार्यों के कारण उत्पन्न मलबे को उचित सुरक्षा उपायों जैसे क्रेट की दीवारों आदि के साथ निर्धारित और अनुमोदित डंपिंग साइटों पर डंप किया गया था ताकि साइटों से किसी भी तरह के रिसाव से बचा जा सके। राज्य मृदा संरक्षण विभाग मृदा संरक्षण अधिकारी (बांदीपोरा) द्वारा टीबीएम मक निपटान स्थल पर बहाली का कार्य किया गया और साइट स्थिरीकरण का कार्य सम्पन्न किया गया।

इस संबंध में, एनएचपीसी ने दिनांक 23.07.2018 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है कि वह कचरा डंपिंग साइटों की जल्द बहाली के लिए मामले को उठाए। डीएफओ (सीएटी) ने साइट का निरीक्षण किया और दिनांक 21.06.2019 को डंपिंग साइटों के स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए डीपीआर एनएचपीसी को प्रस्तुत किया। कार्य के निष्पादन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 04.11.2019 को प्रदान की गई थी और डीएफओ (सीएटी) से एनएचपीसी द्वारा कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया था। सीएफ ने दिनांक 07.01.2020 को कार्य निष्पादन के लिए ई-निविदा प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। तदनुसार, परियोजना अधिकारी (सीएटी) ने निविदाएं जारी की और दिनांक 14.08.2020 को एनएचपीसी को सूचित किया कि गुरेज और बांदीपोरा में मलबा निपटान स्थल में कार्य निष्पादित करने के लिए बोलीदाता (बिडर) को अंतिम रूप दिया गया है।

दिनांक 03.01.2024 तक कुल रुपये 1439.53 लाख DFO CAT बांदीपोरा को जारी किए गए हैं और रुपये 1295.00 लाख का उपयोग किया गया है। TBM साइट पर लगभग 98% काम पूरा हुआ है और कंजलवान साइट पर काम पूरा हो चुका है।

V. ऊपर सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।

**अनुपालन:** डी पी आर में वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

VI. सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन का निगरानी करने के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहु-विषयक समिति गठित की जानी चाहिए।

**अनुपालन:** किशनगंगा जलविद्युत परियोजना पर पर्यावरण की सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक बहु-विषयक समिति गठित की गई है। समिति की दौरा एवं बैठक 6-7 जून, 2023 को हुई है।

VII. छमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए।

**अनुपालन:** छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

#### **अन्य पर्यावरण की रक्षा के उपाय:**

- i. **जलाशय के आसपास ग्रीन बेल्ट विकास का निर्माण:** वन विभाग ने पत्र दिनांक 14.09.2019 के माध्यम से जलाशय के चारों ओर हरित पट्टी विकास कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कार्य के निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 30.10.2019 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। पीओ, सीएटी (कैट) द्वारा प्रस्तुत मांग के अनुसार, कार्य के निष्पादन के लिए ₹25 लाख रुपये और जीएसटी की किस्त जारी की गई थी।
- ii. **ठोस अपशिष्ट निपटान:** परियोजना चालू हो चुकी है। घरेलू सीवेज के उपचार के लिए प्रोजेक्ट टाउनशिप में 20 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। इसके अलावा, इस एसटीपी को अपग्रेड किया जा रहा है और प्रोजेक्ट कैम्पस में तीन एसटीपी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें दो एसटीपी 100 किलोलीटर/दिन क्षमता वाले और एक एसटीपी 50 किलोलीटर/दिन क्षमता वाले हैं। प्रस्ताव निविदा चरण में है। घरेलू ठोस कचरे के संग्रह और निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें कचरे को एकत्र किया जाता है और नगरपालिका समिति, बांदीपोरा के माध्यम से निर्दिष्ट निपटान स्थल पर निपटाया जाता है।
- iii. **परिवेशी (ambient) वायु, जल की गुणवत्ता और शोर स्तर की निगरानी:** परिवेशी वायु, जल गुणवत्ता और ध्वनि स्तर की निगरानी की जा रही है।

\*\*\*\*

**नोट:** यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।